

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-519/11

संस्थित दिनांक-22.11.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

पुरुषोत्तम पुत्र फेरन सिंह लोधी उम्र 40 साल
निवासी ग्राम छपरा चक तहसील चंदेरी
जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 23.06.2017 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 02.05.2011 शाम करीबन 04:00 बजे स्थान छपरा चक का आम रास्ता देव बाबा के स्थान के पास लोक स्थल पर फरियादी सुरेश को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी सुरेश के साथ लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं क्षति कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.05.2011 को शाम करीबन 04:00 बजे फरियादी सुरेश अपने खेत पर काम कर रहा था, शम के समय जब गांव में लाइट नहीं थी फरियादी और मोहर सिंह मोबाईल चार्ज करने के लिये जारसल चक जा रहे थे, छपर चक आम रास्ते में देव बाबा के स्थान के पास पहुंचे तो पुरुषोत्तम लोधी ने फरियादी को पुरानी रंजिश पर से मादर चोद बहन चोद की बुरी बुरी गालियां देने लगा जब फरियादी गालिया देने से मना किया तो रास्ता रोककर लाठी लेकर खड़ा हो गया। फरियादी ने कहा कि रास्ता छोड़ दे तो पुरुषोत्तम ने लाठी मारी जो बायें हाथ पर लगी, लाठी फटी होने से हथेली में खरोंच होकर सूजन आ गयी तथा एक लाठी बाये हाथ में लगी तथा एक लाठी बाये हाथ कोहनी में लगी जिससे मूंदी चोट आयी, मोहर सिंह ने फरियादी को बचाया।

पुरुषोत्तम ने कहा मादर चोद आज तुझे छोड देता हूं। आइन्दा जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी सुरेश द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-204/11 अंतर्गत धारा- 341, 294, 323, 506 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.05.2011 शाम करीबन 04:00 बजे स्थान छपरा चक देव बाबा के स्थान के पास लोक स्थल पर फरियादी सुरेश को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुरेश के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित ?
3.	क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को क्षति कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी ?
4	दोष सिद्ध या दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06- अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन घटना साबित करने के लिये फरियादी सुरेश (अ0सा0-1) सहित घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में मोहर सिंह (अ0सा0-3) फरियादी के भाई घनसिंह (अ0सा0-4) चिकित्सीय साक्षी डाक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0-2) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेंद्र कुमार (अ0सा0-5) के कथन न्यायालय

में कराये गये।

- 07— फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि घटना उसके कथने लेने के दिनांक से तीन साल पहले की होकर शाम चार बजे की है। फरियादी के अनुसार घटना देव बाबा स्थान की है। फरियादी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में यह कहना है कि वह घटना के समय ग्राम जारसल चक जा रहा था, जब आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। फरियादी के अनुसार अभियुक्त ने उसे लाठी से मारा था जो उसके बाये हाथ के गदेली में लगी थी तथा एक लाठी दूसरे हाथ में लगी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने प्र0पी0 1 लेख करायी थी, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 08— फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके संपूर्ण परीक्षण में अखण्डित हैं, जिनमें बचाव पक्ष कोई भी तात्त्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है। फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से भी होती है, जो कि एच0सी0एम0 राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लेख बद्ध की गयी थी, जिसके हस्ताक्षरों को अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेंद्र कुमार (अ0सा0—5) ने अपने न्यायालीन कथनों में पहचाना है। अतः फरियादी सुरेश शर्मा (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं रह जाती है कि घटना के समय फरियादी जारसल चक जा रहा था, तो अभियुक्त ने देव बाबा के स्थान के सामने लोक मार्ग पर फरियादी के साथ विवाद किया था।
- 09— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 जो कि फरियादी के द्वारा लेखबद्ध कराया जाना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये गये हैं, में इस बात का उल्लेख है कि पूर्व की रंजिश पर से अभियुक्त ने घटना कारित की थी। इस संबंध में हालांकि फरियादी सुरेश (अ0सा0—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं दिये हैं, परन्तु बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव एवं उक्त सुझाव के फरियादी द्वारा दिये गये उत्तरों से यह प्रमाणित होता है कि इस घटना से पूर्व फरियादी के भाई ब्रजेश और बृजेंद्र पर भी अभियुक्त की मारपीट का मुकदमा चला है तथा अभियुक्त ने भी पूर्व में फरियादी के पिता बादल सिंह को कुल्हाड़ी से मारने की घटना कारित की थी। अतः फरियादी ने भले ही अपने मुख्यपरीक्षण में पूर्व की रंजिश होने के संबंध में कोई कथन न दिये हो, परन्तु प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथनों से अभियुक्त की फरियादी से पूर्व की रंजिश होना प्रमाणित होती है जिसके संबंध में फरियादी के कथन की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से होती है।
- 10— फरियादी ने अपने कथनों में अभियुक्त के द्वारा की गयी मारपीट के संबंध में यह स्पष्ट बताया है कि अभियुक्त ने उसे लाठी से मारा था जिससे उसके बाये हाथ की गदेली में चोट आयी थी। घटना का पूरा वृत्तान्त न बताने के कारण अभियोजन के द्वारा धारा 165

साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि घटना में उसके बाये की हाथ की गदेली के साथ बाये हाथ कोहनी और डढा में चोट आयी थी, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 से होती है। चिकित्सीय साक्षी डाक्टर आर० पी० शर्मा (अ०सा०-2) ने हालांकि अपने कथनों में एवं तैयार की गयी चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी० 4 में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि फरियादी के बाये हाथ पर चिकित्सीय परीक्षण में उपरोक्त चोटें पायी गयी थी। डाक्टर आर० पी० शर्मा (अ०सा०-2) के अनुसार फरियादी के चिकित्सीय परीक्षण में उसके बाये हाथ के पंजे के पीछे की ओर खरोच का निशान 1 गुणित 1.4 इंच का पाया था, जो स्वकारित एवं गिरने से भी आ सकता था।

- 11- फरियादी सुरेश (अ०सा०-1) ने अपने कथनों में एवं दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 में बाये हाथ के पंजें में पीछे की तरफ चोट कारित होने के संबंध में न तो घटना लेख करायी है और न ही कोई कथन दिये है बल्कि फरियादीके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाये हाथ पर जो चोटे प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने न्यायालीन कथनो में बतायी गयी हैं उसकी पुष्टि डाक्टर आर० पी० शर्मा (अ०सा०-2) के द्वारा नहीं की गयी है। अतः सुरेश (अ०सा०-1) की मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास की स्थिति हैं, परन्तु विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां मौखिक साक्ष्य को प्रथामिकता दी जानी चाहिए। घटना में आयी चोटों के संबंध में फरियादी के साक्ष्य अखण्डित हैं जिसकी पुष्टि प्र०पी० 1 की रिपोर्ट से होती है।
- 12- घटना के अन्य साक्षी मोहर सिंह (अ०सा०-3) व धनसिंह (अ०सा०-4) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किये जाने के बाद किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण से भी अभियोजन को इन साक्षियों के कथनों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि किसी भी घटना या तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों के संख्या की अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जाती है। वर्तमान प्रकरण में फरियादी सुरेश (अ०सा०-1) के द्वारा दिये कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना प्रमाणित करते है तथा इस साक्षी के कथनों में कही कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है, जिसके आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकें। अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेंद्र कुमार (अ०सा०-5) के द्वारा प्रकरण में की गयी विवेचना पदिये कर्तव्य के निर्वाहन में की गयी है मात्र साक्षी मोहर सिंह (अ०सा०-3) व धनसिंह (अ०सा०-4) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने एवं पुलिस को कोई कथन न देना बताने से राजेंद्र कुमार (अ०सा०-5) के द्वारा की गयी कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
- 13- जहां तक अभियुक्त के द्वारा की गयी गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी घटना मे दिये जाने का प्रश्न हैं। तो इस संबंध में घटना की प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में मात्र फरियादी सुरेश (अ०सा०-1) के कथन अभिलेख पर हैं। सुरेश (अ०सा०-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी कि अभियुक्त ने उसे जान से

मारने की धमकी दी। वही फरियादी का यह तो कहना है कि अभियुक्त ने उसे गालिया बकी थीं, परन्तु कौन सी गालियां तथा उन शब्दों से फरियादी को कोई क्षोभ कारित हुआ इस अभाव फरियादी सुरेश (अ0सा0-1) के कथनों में हैं जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना में फरियादी सुरेश (अ0सा0-1) को लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं क्षति कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी।

- 14— किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध के लिये अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे अपना प्रकरण साबित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन फरियादी सुरेश (अ0सा0-1) की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.05.2011 शाम करीबन 04:00 बजे स्थान छपरा चक देव बाबा के स्थान के पास फरियादी सुरेश को लाठी से मार कर स्वेच्छया उपहति कारित की, परन्तु साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि उक्त दिनांक समय व लोक स्थल पर अभियुक्त ने फरियादी सुरेश को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं क्षति कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी।
- 15— फलस्वरूप अभियुक्त पुरुषोत्तम पुत्र फेरन सिंह लोधी के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-323 के आरोप साबित होने से उसे भादवि की धारा 323 में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। वहीं अभियुक्त पर भादवि की धारा 294, 506 के आरोप साबित न होने से अभियुक्त पुरुषोत्तम पुत्र फेरन सिंह लोधी को भादवि की धारा 294, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 16— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त पर कोई पूर्व दोष सिद्धी अभिलेख प र नहीं है प्रकरण के विचारण में लगभग 6 वर्ष लगे हैं, जिसमें अभियुक्त ने नियमित उपस्थित रह कर विचारण मे सहयोग किया है। फरियादी सुरेश को भी घटना में मामूली चौटें आना अभिलेख पर आयी साक्ष्य से साबित होता है कि जिसको देखते हुये एवं प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त पुरुषोत्तम पुत्र फेरन सिंह लोधी को भा0दं0वि0 की धारा 323 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक कारावास एवं 700/- रुपये (.सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (.सात दिवस) का पृथक से भुगताया जावे।

17. अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)